उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-87/2022/I/193801/2022/71-2002/36/2019

लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) में विहित प्राविधानों तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 की धारा 12 के अनुसार मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण हेतु दानकर्ता (Donor) एवं प्राप्तकर्ता (Receiver) द्वारा किये जाने वाले आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु समुचित प्रधिकारी, महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/2522, दिनांक 02.12.2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मैक्स हास्पिटल, वैशाली, गाजियाबाद, उ0प्र0 में अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	धारा- 12 में उल्लिखित व्यवस्था	मैक्स हास्पिटल , गाजियाबाद में " हास्पिटल बेस्ड आथराईजेशन कमेटी " का गठन	प्रास्थिति
1	**2**	**3**	**4**
1	**(a)** The Medical Director or Medical Superintendent or head of the institution or hospital or a senior Medical person officiating as head-Chairperson	**Dr. Nidhi M. Dev** • Ex-officio Medical Superintendent- chairman Max Hospital, Vaishali, Ghaziabad	अध्यक्ष
2	**(B)** Two Senior Medical Practitioner from the same hospital who are not part of the transplant team – Member	1- **Dr. Manish Gupta** – Associate Director- Critical Care Max Hospital, Vaishali, Ghaziabad	सदस्य
		2- **Dr. Amit Malik** - Associate Director - Cardiology Max Hospital, Vaishali, Ghaziabad	सदस्य
3	**(C)** Two persons (preferably one women) of High integrity social standing and credibility , who have served in high ranking Government positions such as in higher judiciary, senior cadre of police service for who have served as a reader or professor in University Grants commission approved University or are self employed professionals of repute such as lawyers, chartered accountants , doctors of Indian Medical Association , reputed non Government organization or renewed social worker-Member	1- **Dr. Dev Raj Rai** • Ex Secretary General, I M A 2010-2012 • Recipient of Dr. B.C. Roy National award, 2016 • Ex Senior National Vice President IMA, 2012-2013 Ex Secretary Indian Federation of United Nations Association 1984-1985	सदस्य
		2- **Dr. Aparna Srivastava (Phd)** • Ex Researcher in U N D P Program, New Delhi • Ex Research Ofiicer, N H R C , New Delhi • Head School of Liberal Arts, N I U, Greater Noida, U.P. Social Worker in Human rights and Woman-Child welfare	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	(D)Secretary Medical Education or Nominee and Director Health Services or nominee from state Government or Union territory Administration- Member	**A Professor of the nearest Govt./Autonomus Medical College/Institute nominated by Principal/Director-** Ex-officio member	सदस्य
		Additional Chief Medical Officer , Ghaziabad-Ex-officio member	सदस्य

2- उपर्युक्तानुसार गठित की जाने वाली अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-

1. किसी मानव अंग के निकाले जाने और प्रतिरोपण के लिये अनुमोदन प्रदान करने हेतु दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के समक्ष किये गये आवेदन पर प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
2. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधी आवेदनों पर लिये गये निर्णयों की मासिक सूचना समुचित प्राधिकारी महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला प्राधिकार समिति में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रतिनिधि के रूप में नामित संबंधित जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पदेन) उपर्युक्तानुसार गठित होने वाली अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की ओर से नामित पदेन सदस्य होंगे।
4. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति में सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के अथवा निकटतम राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलपति द्वारा किसी आचार्य (पदेन) को सदस्य नामित किया जायेगा।
5. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण राज्य प्राधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

(श्रुति सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद, उ0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद, उ0प्र0।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल रोग चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
9. निदेशक, मैक्स सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल, वैशाली, गाजियाबाद, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।